राजस्व अपील संख्या 132/2020

अनवान

बगडूराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसिया

दिनांक 11 –03–2022

अपीलान्ट अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.3.2022 को आवश्यक सुनवाई एवं मिसल तलब करने बाबत पेश करने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किये गये। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसिया जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 435/2020 अनवान तहसीलदार ओसिया बनाम बगडूराम वगैरा मे पारित आदेश 22–9–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की हुई है।

वकील अपीलांट श्री रोंशनलाल एवं रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया उपस्थित । पक्षकारो के अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया, अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही है। तथा यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, मौका फर्द हमारी उपस्थिति मे तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने वर्तमान अपील मे तहसीलदार ओसिया द्वारा प्रस्तुत जबाब की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बंध मे जारी परिपत्र की पूर्ण पालना की गई हे। प्रशासन गावो के सग अभियान मे रास्ते सम्बधी समस्याओ का अधिक से अधिक समाधान करने की सरकार की मंशा होती है जिससे आम जनता को आवागमन मे आसानी हो सके उसके अनुरूप ही कैम्पो मे रास्तो का निस्तारण किया जाता है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलान्ट की उक्त अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अपील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अतः अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 22–09–2020 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण आदि कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित अपीलान्ट के खातेदारी ग्राम पीपासर नगर के खसंरा नम्बर 139/2, 139/3 एवं 139/4 के सम्बध मे किसी तरह की कार्यवाही नही करे। अतिरिक्त इस निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर